

1. प्रबंधक, संबंधित विश्राम भवन, राजस्थान ।
2. प्रबंधक, ट्रांजिट होस्टल, जयपुर।

विषय:-बजट शीर्ष 2070-115-03-परिधि गृह (आयोजना भिन्न) में बजट आवंटन बाबत।

निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपरोक्त बजट शीर्ष में राशि रु. 422.65 लाख (अक्षरे रूपये चार करोड़ बाईस लाख पैसठ हजार मात्र) का बजट आवंटन चतुर्थ त्रैमास हेतु निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	विश्राम भवन	01-संवतन	04-चिकित्सा व्यय	05-कार्यालय व्यय	41-संविदा व्यय	56-भोजन/जलपान व्यय	कुल योग
1	अजमेर	18.00	0.08	8.00	0.42	5.00	31.53
2	अलवर	10.00	0.04	1.00	0.10	1.00	12.16
3	बांसवाड़ा.	2.50	0.04	0.75	0.18	0.40	3.89
4	बांरा	4.50	0.04	1.50	0.24	1.80	8.10
5	बाड़मेर	4.50	0.04	1.00	0.21	0.80	6.57
6	भरतपुर	6.00	0.08	4.00	0.22	2.50	12.84
7	भीलवाड़ा	9.50	0.04	6.00	0.45	6.00	22.01
8	बीकानेर	6.00	0.08	4.00	0.40	3.00	13.51
9	बूंदी	4.00	0.04	1.50	0.11	0.70	6.37
10	चित्तौड़गढ़	8.00	0.04	2.00	0.13	1.50	11.69
11	चुरू	5.50	0.04	1.50	0.25	0.80	8.11
12	डूंगरपुर	6.00	0.04	0.80	0.24	0.50	7.60
13	दौसा	6.00	0.04	1.00	0.24	0.80	8.10
14	धोलपुर	6.00	0.04	0.50	0.38	0.30	7.24
15	श्री गंगानगर	4.00	0.04	1.00	0.30	0.70	6.06
16	हनुमानगढ़	3.50	0.04	1.20	0.40	0.70	5.86
17	जयपुर	44.00	0.75	15.00	1.40	15.00	76.16
18	जैसलमेर	5.50	0.04	2.00	0.40	1.20	9.16
19	जालौर	3.00	0.20	1.00	0.21	0.70	5.13
20	झालावाड़	2.00	0.04	1.00	0.21	0.70	3.97
21	झुंझुनु	4.00	0.04	1.00	0.64	0.80	6.50
22	जोधपुर	10.00	0.08	6.00	0.74	4.00	20.85
23	कोटा	12.00	0.08	4.00	0.35	3.00	19.46
24	नागौर	3.00	0.04	1.00	0.45	0.80	5.31
25	पाली	7.00	0.04	1.50	0.11	1.50	10.17
26	सवाईमाधोपुर	4.00	0.04	1.00	0.25	0.60	5.91
27	सिरोही	4.00	0.04	1.00	0.33	0.70	6.09
28	सीकर	5.00	0.13	1.50	0.60	1.40	8.65
29	टोंक	5.00	0.04	1.50	0.50	1.50	8.56
30	उदयपुर	12.00	0.08	4.00	0.40	3.00	19.51
31	राजसमन्द	3.00	0.04	0.50	0.28	0.30	4.14
32	करौली	3.00	0.04	0.80	0.44	0.50	4.80
33	ट्रांजिट हो.	15.50	0.04	2.00			17.56
34	माउन्ट आबू	8.00	0.04	2.50	0.40	3.00	13.96
35	प्रतापगढ़	3.00		1.00	0.70	0.40	5.12
	TOTAL	257.00	2.56	84.05	12.68	65.60	422.65

यह सुनिश्चित करे कि किसी भी मद में आवंटित बजट राशि से अधिक का व्यय नही हो। संविदा मद में व्यय सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार किया जावे।

वरिष्ठ लेखाधिकारी 11/12/2012

- प्रतिलिपि:- 1. संबंधित कोषाधिकारी।  
2. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी